

परियोजना का नाम:- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का  
विस्तारीकरण कार्य

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि  
पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी  
तराइ केन्द्रीय वन प्रभाग  
हल्द्वानी

प्रयोक्ता एजेन्सी  
सचिव,  
कृषि उत्पादन मण्डी समिति  
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन वैतानिकारी  
हल्द्वानी वन बोर्ड  
तराइ केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
हल्द्वानी  
तराइ केन्द्रीय वनप्रभाग  
हल्द्वानी